

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2016—फाल्गुन 21, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016

क्र. 8777-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) को उससे सम्बद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१६

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १६,२७,७०,०६,४०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक हजार छः सौ सत्ताईस करोड़ सत्तर लाख छः हजार चार सौ केवल होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व ४६,६१,८००	०	४६,६१,८००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ०	२,६०,१९,७५,०००	२,६०,१९,७५,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व २,०४,७०,३४,०००	०	२,०४,७०,३४,०००
२५.	खनिज साधन	राजस्व ०	३५,००,५२,०००	३५,००,५२,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व १,४०,००,०००	०	१,४०,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व १००	०	१००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	८,००,००,००,०००	०
६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी	०	२,८३,५००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	३,२५,९०,००,०००	०
	योग {		
	राजस्व :	१३,३२,४६,९५,९००	२,९५,२०,२७,०००
	पूंजी :	०	२,८३,५००
	वृहद योग :	१३,३२,४६,९५,९००	२,९५,२३,१०,५००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १० मार्च, २०१६.

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.